न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : एम.आर. सुथार (आर.जे.एस.)

जिला न्यायाधीश संवर्ग

फौजदारी विविध प्रकरण संख्या : 45/2026,

प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या : 12/2024, आरक्षी केन्द्र सिवाना,

CNR : RJBA010001352026

1. छोगाराम पुत्र चिमनाराम,
2. भैराराम पुत्र चिमनाराम, निवासियान कांखी, सिवाना, जिला बालोतरा ।

– प्रार्थीगण/अभियुक्तगण

विरुद्ध

राजस्थान राज्य ।

– अप्रार्थी

अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2024, पुलिस थाना सिवाना, अपराध अन्तर्गत धारा 420, 406, 467, 468, 471, 120(बी) भारतीय न्याय संहिता

उपस्थित :–

1. श्री कपिल श्रीमाली, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से ।
2. विद्वान लोक अभियोजक, राज्य की ओर से ।

–– आदेश ––

दिनांक : 13.03.2026

1. प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से यह **अग्रिम** जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 इस न्यायालय के समक्ष पेश किया गया । नकल लोक अभियोजक को दिलवायी जाकर अनुसंधान पत्रावली तलब की गयी । बहस जमानत सुनी एवं अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया ।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि दौलाराम उर्फ दिलीप कुमार ने रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि उसका स्थाई निवास कांखी है तथा उसकी अचल सम्पति ग्राम कांखी में खेत खसरा संख्या 27 रकबा 201 बीघा 06 विस्वा व ग्राम पादरू में खसरा संख्या 824 रकबा 83 बीघा 02 विस्वा उसके व उसके भाईयों की संयुक्त रूप से

अवस्थित थी। वह अपने व्यवसायिक कारणों से ग्राम मेड़ता में अपनी आजीविका विगत 20 वर्षों से करता आ रहा है लेकिन समय–समय पर व शादी ब्याह आदि में अपने पैतृक गांव आता–जाता रहता है । उक्त खेत पर उसके भाई छोगाराम व भैराराम काश्त करते आ रहे हैं तथा उसके हिस्से की भूमि पर उसके भाई काश्त कर उसे हासल देते रहते हैं। अब वह अपने गांव कांखी आया तथा पटवारी के पास जाकर अपने खेत की पैमाईश करवाने हेतु जमाबन्दी की मांग की तब उसे जानकारी हुई कि उसके भाई छोगाराम व भैराराम ने मिलकर धोखे से उसके हिस्से की भूमि को हडप करने की नीयत से उसका मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत कार्यालय, पादरू से तैयार करवाया जिसमें उसकी मृत्यु की तारीख 03.05.1996 बताकर दिनांक 15.07.1999 में फर्जी व कूटरचित तरीके से तैयार करवाया जिस पर ग्राम पंचायत पादरू के तत्कालीन सरपंच जैसाराम के हस्ताक्षर हैं तथा सरपंच जैसाराम को भी यह जानकारी में था कि मैं दौलाराम जीवित हूं फिर भी जैसाराम ने धोखे से फर्जी तरीके से धोखे से फर्जी प्रमाण पत्र जारी किया व उक्त फर्जी व कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र के आधार पर उसके भाईयों ने हल्का पटवारी पादरू को उक्त फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र पेश कर एक प्रार्थना पत्र पेश किया कि उक्त भूमि उसके भाई छोगाराम व भैराराम के नाम उसकी भूमि दर्ज की जावे जिस प्रार्थना पत्र पर उसके काका के लड़के दरगाराम पुत्र सोनाजी ने बतौर साक्षी हस्ताक्षर किये । उसके भाईयों को भी यह पूर्णतया जानकारी में था कि दौलाराम उर्फ दिलीप कुमार जीवित है फिर भी फर्जी तरीके से मृत्यु प्रमाण पत्र बनाकर तत्कालीन पटवारी से मिलावट कर उक्त भूमि का ग्राम कांखी का नामान्तरकरण संख्या 381/5.7.1999 व ग्राम पादरू का फौतगी नामान्तकरण 1704/28.07.1999 को भरकर उसके नाम की कृषि भूमि उसके दोनों भाई भैराराम व छोगाराम ने राजस्व रेकर्ड में अपने नाम दर्ज करवा दिए जिसमें दरगाराम ने सहयोग किया तथा सरपंच जैसाराम प्रजापत एवं तत्कालीन हल्का पटवारी ने धोखाधड़ी कर उसकी भूमि को हडपने का षडयन्त्र किया.....इत्यादि । उक्त रिपोर्ट पर पुलिस थाना सिवाना में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 12/2024 दर्ज की जाकर प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है ।

3. प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि परिवादी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी किए जाने हेतु प्रार्थीगण ने आवेदन नहीं किया था तथा प्रार्थीगण के नाम भूमि का नामांतरणकरण दर्ज होने के बाद भी उनके द्वारा भूमि को आगे विक्रय नहीं किया गया है । यदि प्रार्थीगण की जमीन हडपने की दुर्भावना या आशय होता तो वे भूमि को आगे विक्रय करते ।

4. यह भी तर्क दिया कि आम ग्राम सभा में नामांतरणकरण दर्ज करवाये जाने हेतु भी कोई कार्यवाही नहीं की थी । प्रार्थीगण के विरुद्ध प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है । प्रार्थीगण ग्राम पादरु जिला बालोतरा के स्थाई निवासी है, जिनके कहीं पर भी भागने या फरार होने का अंदेशा नहीं है । प्रार्थीगण अनुसंधान में सहयोग एवं माननीय न्यायालय द्वारा अधिरोपित शर्तों की पालना के लिए तैयार एवं तत्पर है । अतः प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया ।

5. विद्वान लोक अभियोजक ने जमानत आवेदन का विरोध करते हुए तर्क दिया कि प्रार्थीगण के विरुद्ध परिवादी की भूमि हडपने की नीयत से उसे मृत बताकर उसका मृत्यु प्रमाण पत्र प्राप्त कर तत्कालीन पटवारी व सरपंच से मिलकर परिवादी की भूमि का नामांतरणकरण प्रार्थीगण ने उनके हक में दर्ज करवाने की कार्यवाही की । परिवादी की भूमि प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाये जाने हेतु प्रार्थीगण ने तत्कालीन सरपंच, पटवारी व तहसीलदार से षडयंत्र किया एवं उस षडयंत्र के अनुसरण में पटवारी, सरपंच व तहसीलदार ने पूर्ण सहयोग किया है । प्रार्थीगण के विरुद्ध अन्य अभियुक्तगण के साथ आपराधिक षडयंत्र कर परिवादी के जीवित होते हुए भी उसका मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाकर भूमि का नामांतरणकरण प्रार्थीगण के नाम दर्ज करवाने के गंभीर अपराध का आरोप है । प्रार्थी का मामला अग्रिम जमानत योग्य नहीं होना बताते हुए प्रस्तुत जमानत आवेदन अस्वीकार करने का निवेदन किया ।

6. माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत SB.Cri.Misc. Bail Application No. 13513/2020 जुगल बनाम राजस्थान राज्य में दिये गये निर्देशानुसार अभियोजन द्वारा प्रार्थीगा/अभियुक्तगण छोगाराम व भैराराम का निम्न आपराधिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किया गया हैः–

क्र.सं.	मुकदमा नं.	धारा	पुलिस थाना	चालान नं.	स्थिति
–	–	–	–	–	–

7. उभय पक्षकारान् की ओर से दिए गए तर्कों को सुना एवं केस डायरी का अवलोकन किया। केस डायरी के अवलोकन से मामला इस प्रकार जाहिर होता है कि परिवादी की ग्राम कांखी में कृषि भूमि स्थिति है तथा परिवादी पिछले 20 वर्षों से जीविकोपार्जन हेतु ग्राम मेडता में निवासरत है । प्रार्थीगण ने यह जानते हुए कि परिवादी जीवित है ग्राम पंचायत के सरपंच से मिलकर फर्जी एवं कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करवाया तत्पश्चात् पटवारी से मिलकर नामांतरणकरण प्रार्थीगण ने उनके नाम दर्ज करवाया एवं नामांतरणकरण को ग्राम सभा से पारित करवाया । प्रार्थीगण के विरुद्ध परिवादी के जीवित होते हुए

आपराधिक षडयंत्र कर उसकी बेशकीमति जमीन हडपने के इरादे से कूटरचित मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवाकर उसके आधार पर परिवादी की भूमि का नामांतरणकरण प्रार्थीगण के हक में दर्ज करवाये जाने के गंभीर अपराध का आरोप है । केस डायरी पर संकलित साक्ष्य से प्रथम दृष्ट्या प्रार्थीगण की अपराध में संलिप्त प्रकट होती है । केस डायरी के अवलोकन से प्रार्थीगण का मामला अग्रिम जमानत योग्य होना जाहिर नहीं होता है जिससे प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन स्वीकार योग्य नहीं पाया जाता है ।

–:: आदेश ::–

8. परिणामतः प्रार्थीगण छोगाराम व भैराराम की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 एतद्द्वारा अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

9. आदेश आज दिनांक 13.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षरित कर सुनाया गया ।

(एम.आर. सुथार)
सेशन न्यायाधीश,
बालोतरा

GOVIND SHANKER KIRADOO

Steno Gr. III
"Authenticate document"
Digitally signed by GOVIND SHANKER KIRADOO
Date: 2026.03.16 10:17:11 +0530